प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक के खंड 3 का उपखंड (ग) आय-कर अधिनियम की धारा 2 में एक नया खंड (48) अंतःस्थापित करने के लिए है जो परिभाषाओं से संबंधित है। उक्त उपखंड द्वारा प्रस्तावित संशोधन "जीरो कूपन बंधपत्र" को विनिर्दिष्ट करने के लिए, केंद्रीय सरकार को शक्तियां प्रदान करता है, जिसे उस खंड के अधीन परिभाषित किए जाने का प्रस्ताव है।

खंड 12, धारा 36 की उपधारा (1) में एक नया उपखंड (iiiक) अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को किसी अवसंरचना पूंजी कंपनी या किसी अवसंरचना पूंजी निधि की, जो ऐसा बंधपत्र जारी करती है, आय की संगणना करने में जीरो कूपन बंधपत्र पर अनुज्ञात की जाने वाली यथा अनुपात छूट की रकम की संगणना की रीति के संबंध में नियम बनाने के लिए सशक्त किया जा सके। "जीरो कूपन बंधपत्र" पद को धारा 2 के नए खंड (48) में परिभाषित किए जाने का प्रस्ताव है।

खंड 14, धारा 43 के खंड (5) के परंतुक के खंड (ग) के पश्चात् एक नया खंड (घ) अंतःस्थापित करने के लिए है जो, अन्य बातों के साथ, "पात्र संव्यवहार" पद को परिभाषित करता है, जिससे ऐसा संव्यवहार अभिप्रेत है, जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 या निक्षेपागार अधिनियम, 1996 के उपबंधों, और उन अधिनियमों के अधीन जारी किए गए नियमों, विनियमों या उपविधियों अथवा निर्देशों के अनुसार किसी स्टाक दलाल या उपदलाल या ऐसे अन्य रजिस्ट्रीकृत मध्यवर्ती द्वारा स्क्रीन आधारित प्रणाली पर इलेक्ट्रानिक रूप में किया जाता है। उक्त उपखंड (घ) के नीचे स्पष्टीकरण के खंड (ii) में ऐसी शर्तें अधिसूचित करने का भी प्रस्ताव है, जिसके साथ किसी स्टाक एक्सचेंज को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज के रूप में अधिसूचित किया जाना है।

धारा 37, अधिनियम में एक नया अध्याय 12ज अंतःस्थापित करने के लिए है। उक्त अध्याय के उपबंध सीमांत फायदा कर, सीमांत फायदों, सीमांत फायदों आदि के मूल्य प्रभारण से संबंधित हैं। उक्त नए अध्याय की धारा 115बघ की उपधारा (1) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को सीमांत फायदों की विवरणी देने का प्ररूप और सत्यापन की रीति तथा वे विशिष्टियां, जिनके साथ ऐसी विवरणियां दी जानी हैं, विहित करने के लिए सशक्त बनाती है। प्रस्तावित धारा 115बज की उपधारा (1), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को पुनर्निर्धारण के प्रयोजन के लिए सीमांत फायदों की विवरणी और सत्यापन की रीति तथा वे विशिष्टियां, जो विवरणी में दी जानी हैं, विहित करने के लिए सशक्त बनाती है।

खंड 40, अधिनियम की धारा 139 का संशोधन करने के लिए है, जो आय-कर की विवरणी से संबंधित है। यह उपबंध किया गया है कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो कोई व्यष्टि या कोई हिन्दू अविभक्त कुटुंब या कोई व्यक्ति संगम या कोई व्यष्टि निकाय या कोई कृत्रिम विधिक व्यक्ति है, आय-कर की एक विवरणी प्रस्तुत करेगा, यदि ऐसे व्यक्ति की कुल आय धारा 10क, धारा 10ख और अध्याय 6क के उपबंध को प्रभावी करने से पूर्व उस अधिकतम रकम से अधिक हो जाती है, जो कर से प्रभार्य नहीं है। खंड 40 केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को उक्त विवरणी देने के लिए प्ररूप और वह रीति जिसमें, उसे सत्यापित किया जा सकेगा, विहित करने के लिए सशक्त बनाता है।

खंड 49, केंद्रीय सरकार को किसी व्यक्ति द्वारा, जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय दो माल वाहकों से अनधिक का स्वामित्व रखने वाला उपठेकेदार है, माल वाहनों के चलाने, भाड़े पर देने या पट्टे पर देने के कारबार के अनुक्रम के दौरान उसे किसी राशि का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा का प्ररूप विहित करने के लिए और उस व्यक्ति द्वारा जो उपठेकेदार को किसी राशि का संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, आय-कर प्राधिकारी को दिए जाने के लिए प्ररूप भी और वह रीति तथा विशिष्टियां, जो ऐसे प्ररूप में अंतर्विष्ट हों, विहित करने के लिए प्राधिकृत करता है।

खंड 52, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को, किसी बैंककारी कंपनी या सहकारी सोसाइटी या पब्लिक कंपनी द्वारा पांच हजार रुपए से अनधिक के ब्याज के संदाय के संबंध में जिस पर स्रोत पर कर की कोई कटौती नहीं की गई थी, तिमाही विवरणी प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप विहित करने और आय-कर प्राधिकारी तथा ऐसी रीति और विशिष्टियां विहित करने के लिए है, जो ऐसे प्ररूप में अंतर्विष्ट हो सकेंगी। इसके अतिरिक्त उक्त खंड स्रोत पर कर की कटौती के लिए दायी किसी आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी किसी निवासी को, ऐसी रीति में और ऐसी विशिष्टियां देते हुए, जो ऐसे प्ररूप में अंतर्विष्ट हो सकेंगी, तिमाही विवरणी परिदत्त करने के लिए अधिसूचित करने हेतु केंद्रीय सरकार को शक्ति देने के लिए है।

विधेयक का खंड 88, वित्त अधिनियम, 1994 का संशोधन करने के लिए है। उपखंड (घ) उक्त वित्त अधिनियम की धारा 69 की उपधारा (2) का संशोधन करने के लिए है जिससे कि केंद्रीय सरकार को उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए समय, रीति और उसका प्ररूप विहित करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त बनाया जा सके। उपखंड (ड) धारा 70 की उपधारा (2) का संशोधन करने के लिए है जो केंद्रीय सरकार को वह प्ररूप, रीति और वह अंतराल, जिस पर उस धारा की उपधारा के अधीन या उसके द्वारा अधिसूचित व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को विहित करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त बनाता है।

विधेयक का खंड 89, केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ज) का संशोधन करने के लिए है। उक्त धारा का परंतुक केंद्रीय सरकार को विक्रय कर का अवधारण करने की रीति और उक्त परंतुक के अधीन किसी कार्य संविदा के लिए कुल प्रतिफल से कटौती विहित करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त बनाता है।

विधेयक का अध्याय 7, ऐसे कराधेय बैंककारी संव्यवहारों पर कर का उद्ग्रहण करने के लिए उपबंध करता है, जो किसी अनुसूचित बैंक के साथ किए गए हों। ऐसा कर अनुसूचित बैंक द्वारा संगृहीत किया जाएगा और केंद्रीय सरकार के खाते में जमा किया जाएगा।

विधेयक का खंड 98 बैंककारी नकद संव्यवहार कर के संबंध में, अनुसूचित बैंक द्वारा विहित समय के भीतर, विहित प्ररूप में और उस रीति में, ऐसी विशिष्टियां देते हुए, जो विहित की जाएं, विवरणी फाइल करने का उपबंध करता है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को उसके द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा, (क) वह समय-सीमा, जिसके भीतर विवरणी दी जाएगी, (ख) वह प्ररूप और रीति, जिसमें वह दी जाएगी या सत्यापित की जाएगी, (ग) विशिष्टियां, जो विवरणी में दी जानी हैं, विनिर्दिष्ट करने के लिए सशक्त करता है।

खंड 99 यह उपबंध करता है कि जहां किसी रकम को किसी अनुसूचित बैंक को प्रतिदाय किया जाता है वहां, उसका विहित समय के भीतर संबंधित व्यक्ति को प्रतिदाय किया जाएगा जिससे ऐसी रकम संगृहीत की गई थी।

यह प्रस्ताव है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को, नियमों द्वारा, वह समय-सीमा, जिसके भीतर अनुसूचित बैंक संबंधित व्यक्ति को, किसी रकम का प्रतिदाय करेगा, जिससे उसे संगृहीत किया गया था, विनिर्दिष्ट करने के लिए सशक्त बनाया जाए।

खंड 107 यह उपबंध करता है कि कोई निर्धारिती, यदि निर्धारण अधिकारी के किसी आदेश द्वारा व्यथित है तो वह आय-कर आयुक्त (अपील) को विहित प्ररूप में और विहित रीति में सत्यापित अपील फाइल कर सकेगा।

यह प्रस्ताव है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नियमों द्वारा वह प्ररूप और रीति, जिसमें आय-कर आयुक्त (अपील) को अपील की जाएगी और सत्यापित की जाएगी, विनिर्दिष्ट करने के लिए सशक्त बनाया जाए।

खंड 108, यथास्थिति, निर्धारिती द्वारा या निर्धारण अधिकारी द्वारा अपील अधिकारी को विहित प्ररूप में और विहित रीति में सत्यापित अपील फाइल करने का उपबंध करता है।

यह प्रस्ताव है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नियमों द्वारा वह प्ररूप, जिसमें ऐसी अपील की जाएगी और वह रीति, जिसमें उसे सत्यापित किया जा सकेगा, विनिर्दिष्ट करने के लिए सशक्त बनाया जाए।

यह प्रस्ताव है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को उक्त अध्याय 7 के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदत्त की जाए।

वे विषय जिनके संबंध में विधेयक के पूर्वोक्त उपबंधों के अनुसार अधिसूचना जारी की जा सकेगी या नियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और ब्यौरे संबंधी विषय हैं और उनके लिए विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है।

अतः विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है।

website: http://indiabudget.nic.in